न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—159/2017/223 (2017/00159)

1. पांचूराम पुत्र भैरू, जाति बैरवा, निवासी गिदारनी, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. दिनेश पुत्र धन्नालाल,
2. मनफूली पुत्री भैरू,
3. मनभर पुत्री भैरू,
4. पांची पुत्री भैरू,
5. भूली पुत्री भैरू,
6. छोटी पुत्री भैरू,
7. सोहनी पुत्री भैरू,
   समस्त जाति बेरवा, निवासी गिदानी, तह0 मौजमबाद, जिला जयपुर ।
8. राजस्थान सरकार ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं अंतिम डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू दिनांक 3.5.2017 अंतर्गत वाद संख्या 99/2014.

उपस्थितः—

1. श्री गजेन्द्रसिंह राजावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री दीपक पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 8.

निर्णय

दिनांकः— 31.1.2020

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1/वादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष विरूद्ध अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 के एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी खतौनी संख्या 294 के आराजी खसरा नंबर 663 रकबा 0.2800 है0 एवं खसरा नंबर 664 रकबा 0.5300 है0 वाके ग्राम गिदानी, तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है । उपरोक्त आराजी के वादी एवं अपीलांट तथा रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 7 जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है । उपरोक्त आराजी अविभाजित है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने उक्त आराजी इसके तत्कालीन खातेदार मोहनलाल वर्मा पुत्र रामसहाय वर्मा एवं सीताराम पुत्र भैरू से क्रय की है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने वाद में आगे कथन किया कि विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड में

विधिवत् रूप से तकासमा नहीं होने से पक्षकारों के मध्य आये दिन मेर, कोर को लेकर विवाद होता रहता है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने हिस्से की भूमि को काफी उन्नत व उपजाउ बनाया है इससे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की नियत में फितूर उत्पन्न हो गया है । राजस्व रिकार्ड में तकासमा नहीं होने के कारण प्रवितादी संख्या 1 से 7 वादी/रेस्पो0 संख्या 1 को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करना चाहते है तथा काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे है तथा विवादित आराजी में उसके हिस्से की आराजी को विक्रय करने पर उतारू है । अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 7 डिक्री किया जाकर वादपत्र की मद संख्या 1 का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मध्य मौके पर काबिज अनुसार तकासमा किया जाकर लगान की फेटबंदी अलहदा–अलहदा की जावे तथा प्रतिवादीगण को इस स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण दखलंदाजी न स्वंय करे तथा वादी को बेदखल नहीं करे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.4.2015 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार को कुरेजात रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 3.5.2017 को अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अंतिम डिक्री को निर्णित करने में आवश्यक प्रक्रिया को नहीं अपनाया है तथा न ही अपीलांट को सुनवाई का संपूर्ण अवसर ही प्रदान किया है । नक्शे कुरेजात मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलांट को जानबूझ कर सम्मिलित नहीं किया गया और वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने षड़यंत्र पूर्वक मिलीभगत कर एकतरफा में अपने अनुसार नक्शे कुरेजात तैयार करवा लिये जिसके आधार पर पारित की गई अंतिम डिक्री अपीलांट के विरूद्ध कानूनन शून्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं करने से अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.5.2017 निरस्तनीय है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट ने आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 689 कैलाश बनाम रमशे में पारित सिद्धांत की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि उक्त निर्णय में मान0 मण्डल ने राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना को आवश्यक मानते हुए तहसीलदार स्वंय को मौका निरीक्षण कर प्रस्ताव तैयार कर प्रस्ताव भिजवाना आवश्यक माना है । उपरोक्त नियमों के तहत दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में तहसीलदार स्वंय को मौके पर उपस्थित होकर अच्छे से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि की तुलनात्मक समानता के आधार पर बंटवारा तैयार कर भिजवाना होता है किन्तु हस्तगत प्रकरण में मौका कुरेजात तैयार किये जाते समय न तो अपीलांट उपस्थित था न ही मौका कुरेजात तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार किया गया है बल्कि पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है जो उपरोक्त नियमों के विपरीत होने से इसके आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.5.2017 निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा

पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.5.2017 निरस्त की जावे तथा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर दिनांक 4.7.2017 को अजमेर आकर अभिभाषक से मिला तो उसके अभिभाषक ने अधी0न्याया0 की संपूर्ण पत्रावली भी लाने को कहा जिस पर प्रार्थी वापिस अपने गांव गया और दिनांक 8.7.2017 को अपने अधी0न्याया0 के अधिवक्ता से पत्रावली लेकर दिनांक 9.7.2017 को अजमेर पहुंच कर पत्रावली अपने अधिवक्ता को दी जिसको देखकर उसी दिनांक को यह अपील तैयार करवाकर दिनांक 10.7.2017 को बिना किसी विलंब के पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.5.2017 विधिसम्मत् है। अपीलांट द्वारा दिनांक 3.5.2017 जो अंतिम डिक्री पारित की गई है, के विरूद्ध यह अपील पेश की है जबकि दिनांक 28.4.2015 को अधी0न्याया0 द्वारा वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की गई थी जिसमें अपीलांट द्वारा पूर्णतया सहमति जाहिर कर प्राथमिक डिक्री पारित करवाने के आदेश को चुनौती नहीं दी है । अधी0न्याया0 ने प्राथमिक डिक्री के आधार पर ही अंतिम डिक्री पारित की है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि नक्शे कुरेजात एल0आर02015/669 से दिनांक 9.2.2016 को अधी0न्याया0 को प्राप्त हुए जिस पर अधी0न्याया0 द्वारा पुनः एल0आर02017/1943 दिनांक 12.4.2017 को कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभयपक्षकारान ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर नक्शे कुरेजात को सही होना जाहिर किया था तत्पश्चात् ही अधी0न्याया0 ने अंतिम डिक्री पारित की है । इसके बावजूद अपीलांट द्वारा अब अधी0न्याया0 द्वारा पारित अंतिम डिक्री को विधिसम्मत् व न्यायोचित नहीं मानकर अपील किया जाना विधिसम्मत् नहीं है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 में जरिये अधिवक्ता व स्वंय की जानकारी होने के बावजूद सहमति के आधार पर पारित अंतिम डिक्री को मान0 न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है । अपीलांट ने रेस्पो0 संख्या 1 को परेशान करने की नियत यह अपील पेश की है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने विलंब के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम प्रकरण का तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध कुरेजात रिपोर्ट ग्राम गिदानी, तहसील मौजमाबाद दिनांक 25.7.2015 का अवलोकन किया गया । अवलोकन से स्पष्ट है कि कुरेजात रिपोर्ट पर तहसीलदार, मौजमाबाद एवं पटवारी हल्का गिदानी के हस्ताक्षर है इसलिये यह नहीं माना जा सकता है कि कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार, मौजमाबाद द्वारा तैयार नहीं की गई हो । अधी0न्याया0 के समक्ष कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 25.7.2015

प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 26.4.2017 के अनुसार अधी0न्याया0 द्वारा दोनों पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । दौराने बहस दोनों पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार, मौजमाबाद से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं की गई बल्कि दोराने बहस यह कथन किया कि मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट अंतिम डिक्री पारित कर दी जावे । अधी0न्याया0 द्वारा बमुताबिक कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 25.7.2015 के अनुसार निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है । अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कुरेजात रिपोर्ट के संदर्भ में ऐसी कोई तथ्यात्मक त्रुटि जाहिर नहीं की गई है । अपीलांट अपील में उठाये गये ऐतराज को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने मे पूर्णतया असफल रहा है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2017 (1) आर0आर0टी0 पेज 689 हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होती है क्योंकि कुरेजात रिपोर्ट पर तहसीलदार, मौजमाबाद के हस्ताक्षर है इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि तहसीलदार, मौजमाबाद द्वारा कुरेजात रिपोर्ट तैयार नहीं की गई हो । विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.5.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 31.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर